बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0–पि0व0/पो0मै0छा0–36–02/2020–

संकल्प

विषयः– वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित रू0 1.50 लाख से अधिक एवं 2.50 लाख तक की वार्षिक आय अधिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 से "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" की स्वीकृति एवं योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति।

प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

2. वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–321 दिनांक–05.02.19 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर निर्धारित दर पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के वैसे छात्र/छात्राएँ, जिनकी स्वयं की आय सहित माता–पिता/ अभिभावक की सभी स्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय रू0 1.50 लाख तक है, को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।

3. विभागीय संकल्प संख्या–2565 दिनांक–21.12.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

4. राज्य सरकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए संवेदनशील है। वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना द्वारा निर्धारित 1.50 लाख की अधिसीमा के कारण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का एक तबका उच्च शिक्षा हेतु प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित रह रहा है, जिसे राज्य सरकार उच्च शिक्षा हेतु लाभान्वित किए जाने पर संकल्पित है।

5. अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता हैः–

(i) वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित रू0 1.50 लाख से अधिक एवं रू0 2.50 लाख तक की वार्षिक आय अधिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 से "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु हेतु शेष मापदंड एवं अर्हताएँ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–321 दिनांक–05.02.19 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर एवं विभागीय संकल्प संख्या–590 दिनांक–27.03.2017 तथा 844 दिनांक–11.04.2018 द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप ही होगी।

(iii) मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

(iv) योजना के लिए बजट उपबंध एवं उद्व्यय प्राप्त करने तथा प्रावधानित राशि शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने की कार्रवाई पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी।

5. इस योजना के लिए व्यय माँग संख्या–11 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य स्कीम के तहत मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा उप शीर्ष–0101–शिक्षा, विपत्र कोड–11–2225032770101,विषय शीर्ष–34–01– छात्रवृत्ति/वजीफा के अंतर्गत विकलनीय होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ उपलब्ध कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/पो0मै0छा0–36–02/2020– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/पो0मै0छा0–36–02/2020– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/पो0मै0छा0–36–02/2020– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/पो0मै0छा0–36–02/2020– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/ सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक, कल्याण/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/पो0मै0छा0–36–02/2020– 291 पटना, दिनांक– 31/01/2020

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

31.1.20
सरकार के सचिव।